

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

क्रमांक :- निविदा/फर्नीचर/2022-23/3002

दिनांक :- 29.08.2022

:: खुली निविदा सं.02 ::

वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत फर्मो/अनुमोदित सप्लायरों/अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली हेतु निम्नानुसार फर्नीचर क्वच व फेब्रीकेशन (एल्यूमिनियम मय सीसा) का कार्य करवाया जाना है। जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपये है। अतः पंजीकृत फर्म अपनी दरें समस्त करों सहित श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली को दिनांक 02.09.2022 को 12.00 पी.एम तक निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष उसी दिन दोपहर 01:30 पी.एम पर कार्यालय की उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं	नाम सामग्री	साईज/ स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा
1	Cushion Chair	Branded Campany with Steel Frame	01
2	Plastic Chair	Branded Campany	10
3	Single Drawer Table/Office table	4x2.5 feet with mdf board one side drawers	04
4	Iron Almirah	78x36x18 inch made of 20-22 gauge sheet with 4 shelves and 5 compartment spray paint finish	01
5	Center Table	well Framed	01
6	Bench	Bench three seater with steel sheet and steel frame	01
7	Febrication work	Partition of Hall Four Chamber in aluminium frame with high quality branded glass	550 feet work

1. दरें समस्त करों सहित एफ.ओ.आर. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की होगी।
2. सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर सुपुर्दगी नहीं ली जावेगी।
3. सामग्री आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर करनी होगी।
4. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीकृत एवं जी.एस.टी नंबर धारक होनी चाहिए।
5. उक्त सामग्री संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।
6. नियमानुसार 2 प्रतिशत प्रतिभूति/धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा निविदा के साथ जमा करानी होगी। जो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के पक्ष में देय होगा।
7. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा तथा इस बाबत उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
8. अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक मान्य होगी।
9. शेष शर्तें सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार रहेंगी।

10. उक्त शर्तों में कोई भी संशोधन करने का उपापन समिति को अधिकार होगा जो मान्य होगा।
11. कोई भी विवाद होने की स्थिति में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
12. सम्बन्धित फर्मों के फर्नीचर के नमूनों का उपापन समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने के बाद ही दरों का अनुमोदन किया जावेगा।
13. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में शर्तों सहित दोनों पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
14. किसी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता को होगा।


सचिव

(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
करौली

क्रमांक - निविदा/फर्नीचर/2022-23/3007

दिनांक :- 29.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को निर्धारित दिनांक 02.09.2022 को समय 01:30 पी.एम पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के अवकाशागार में निविदा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए उपस्थित होने बाबत।

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
2. सहायक लेखाधिकारी, जिला न्यायालय करौली।
3. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय/कार्यालय हाजा।
4. जिला एवं जनसम्पर्क अधिकारी, करौली को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित पत्रावली


सचिव

(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
करौली

Note - निविदा फार्म इन्फोर्मेशन से कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।